प्रकरण संख्या 71/2017 धूलचन्द व अन्य बनाम अर्जुनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा सुनी गयी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में दिनांक 28–03–2017 अपीलान्ट संख्या 3 से 5 की ओर वकालतनामा प्रस्तुत हुआ था तथा इससे पूर्व अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाब तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का जवाबुल जवाब पेश होकर रेकार्ड पर उपलब्ध था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के जवाब तथा अन्य अपीलान्ट/प्रतिवादी के जवाब तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के जवाबुल जवाब के आधार पर तनकियात कायम की जानी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01–05–2017 को प्रकरण में आगामी तारीख दिनांक 30–05–2017 तक की थी, परन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 19–05–2017 को उभयपक्षों की अनुपस्थिति में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो स्पष्टतया प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–05–2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पेश शुदा प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर एवं उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28–08–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 71/2017 धूलचन्द व अन्य बनाम अर्जुनलाल व अन्य